

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

स० 5] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 1979/पौष 11, 1900
No. 5] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 1979/PAUSA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

जीधसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1979

का. आ. 6(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 3 के खंड (इ) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्धों को प्रवृत्त करने के प्रयोजनार्थ श्री वाई. पी. सूद को प्रवर्तन-अधिकारी नियुक्त करती है, जिसका पदाभिधान विशेष प्रवर्तन निदेशक होगा और उक्त अधिनियम की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन्हें तदधीन बनाए गए किसी नियम, निदेश या आदेश या उसके

उपबंधों [धारा 13, धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) से भिन्न] के किसी उल्लंघन के मामलों का अधिनियम करने के लिए सशक्त करती हैं।

[फा. सं. 164/117/78-टी. सी. (ई.)]

के. एस. वेंकटरमानी, उपसचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 1979

S.O. 6(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, read with clause (e) of section 3 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973), the Central Government hereby appoints Shri Y. P. Sud to be an officer of Enforcement, with the designation of Special Director of Enforcement for the purpose of enforcing the provisions of the said Act; and in exercise of the powers conferred by section 50 of the said Act hereby empowers him to adjudicate cases of contravention of any of the provisions thereof [other than section 13, clause (a) of sub-section (1) of section 18 and clause (a) of sub-section (1) of section 19] or of any rule, direction or order made thereunder.

[F. No. 164/117/78-TC(E)]

K. S. VENKATARAMANI, Dy. Secy.